न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3452–तीन/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 13.8.2013 पारित व्दारा – तहसीलदार जतारा जिला टीकमगढ़ – प्रकरण क्रमांक 09 अ–12/2012–13

चिंतामन पुत्र बैजनाथ दांगी ग्राम बैरवार
तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ ---आवेदक

विरूद्ध

1– अम्बिकाप्रसाद पुत्र ठाकुरदास
2– श्यामलाल पुत्र बैजनाथ दांगी
ग्राम बैरवार तहसील जतारा,टीकमगढ ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)
(अनावेदक क–1 के अभिभाषक श्री दिलीप पासी)
(अनावेदक क–2 सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 5–11 –2015 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार जतारा जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 487/बी–121/12–13 में पारित आदेश दिनांक 13.8.13 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क–1 ने तहसीलदार जतारा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसकी भूमि सर्वे क्रमांक 813/1/2 एंव 915/7 ग्राम बैरवार खास के सीमांकन करने का निवेदन किया। तहसीलदार जतारा ने प्रकरण क्रमांक 487/ बी–121/ 12–13 पंजीबद्ध किया तथा राजस्व निरीक्षक से सीमांकन कराया।

राजस्व निरीक्षक व्दारा किये गये सीमांकन पर आवेदक एंव अनावेदक क-2 ने आपत्ति प्रस्तुत की। तहसीलदार जतारा ने हितबद्धों को श्रवण कर आदेश दिनांक 13.8.13 से राजस्व निरीक्षक के सीमांकन प्रतिवेदन को अंतिमता प्रदान की है। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक क-2 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव प्रकरण के अवलोकन से परिलक्षित है कि ग्राम बैरवार खास स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 813/1/2 एंव 915/7 अनावेदक क्रमांक-1 के स्वत्व एंव स्वामित्व की है जिसका उसने सीमांकन शुल्क जमा कर सीमांकन कराया है। राजस्व निरीक्षक जतारा ने दिनांक 23.4.2003 को स्थल पर उक्त भूमि का सीमांकन किया है जिसके अनुसार मौके पर पंचगण उपस्थित रहे है जिनके समक्ष सीमांकन किया गया है। चतुर्सीमा के परिमाप अनुसार चिन्तामण एंव श्यामलाल का अनावेदक क-1 की भूमि के रकबा 0.100 आरे पर अवैध कब्जा पाया गया है। तहसीलदार के समक्ष आवेदक ने सीमांकन पर आपत्ति प्रस्तुत कर आक्षेप लगाया है कि सीमांकन के पूर्व सरहदी कृषक अर्थात आवेदक को सूचना नहीं दी गई तथा राजस्व निरीक्षक ने सॉठ-गॉठ कर भूमि बंदोवस्त के समय प्रस्तावित सीमा चिन्हों से नाप न करके गलत नाप किया है। आपत्ति के समर्थन का जब मौका आया, तहसीलदार के समक्ष पेशी 6-6-13 को आवेदक एंव उसके अभिभाषक सूचना होने के वाद अनुपस्थित हो गये, किन्तु इसी दिन आपत्तिकर्ता (आवेदक) के वाद में उपस्थित हो जाने पर प्रकरण आगे की पेशियों पर लिया गया है एंव आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये आदेश दिनांक 13.8.13 से राजस्व निरीक्षक

के सीमांकन प्रतिवेदन को अंतिमता प्रदान की गई है, जिसके कारण तहसीलदार व्दारा की गई कार्यवाही एंव राजस्व निरीक्षक व्दारा स्थल पर की गई पैमायश अनुसार सीमांकन में किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है। यदि सीमांकन से आवेदक स्वयं् की भूमि प्रभावित होना मानता है तब वह स्वयं् की भूमि का सीमांकन अधीक्षक भू अभिलेख अथवा राजस्व निरीक्षक से कराने हेतु स्वतंत्र है, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में तहसीलदार जतारा के आदेश दिनांक 13.8.13 में हस्तक्षेप का औचित्य नजर नहीं आता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार जतारा जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 487/बी-121/12-13 में पारित आदेश दिनांक 13.8.13 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नही है अतः निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर